



जालौन पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1.दोस्त मोहम्मद पुत्र मो0 इस्लाम 2.मस्कूर अहमद पुत्र महबूब अहमद निवासीगण सीपरी बाजार जनपद झांसी 3. मुजाहिद अली पुत्र मकसूद निवासी छनिया पुल झांसी जनपद झांसी द्वारा लूट की घटना कारित करने के सम्बन्ध में कोत0 उर्ड में मु0अ0सं0 114/2006,304/2006 (वाद संख्या – 64,65/2006) धारा 394/411/120बी भादवि एवं 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 12.04.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे एस्पेशल डैकेती कोर्ट उर्ड, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त दोस्त मोहम्मद उपरोक्त को दोषी पाते हुये 07 वर्ष का कारावास एवं 15,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त मुजाहिद अली पुत्र मकसूद निवासी जनपद झांसी की मृत्यु हो चुकी है।



ADGC किशनल महेन्द्र
विक्रम सिंह



कोर्ट पैरोकार सोहन सिंह